न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 218/2013

1. नारायण सिंह पुत्र श्री प्रभूदान जाति चारण निवासी उदयपुर खुर्द तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रभूदान पुत्र स्व0 श्री भूरदान जाति चारण
2. श्री बासूदेव पुत्र श्री प्रभूदान जाति चारण
3. श्री नवीन कुमार पुत्र श्री प्रभूदान जाति चारण
4. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रभूदान जाति चारण
   सर्व निवासीगण उदयपुर खुर्द तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. श्री करण सिंह पुत्र भंवर लाल जाति पोरवाल निवासी धानमण्डी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. श्री अभय कुमार कुमठ पुत्र श्री भंवरलाल ओसवाली निवासी फतेहगढ़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर
7. श्री नरेन्द्र सिंह राजावत पुत्र स्व0 श्री प्रताप सिंह राजावत जाति राजपूत निवासी राजपूत मौहल्ला, नया शहर, किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़
9. उप पंजीयक किशनगढ़

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः

उपस्थितः श्री ध्रुव सिंह चौधरी — प्रार्थीगण अभिभाषक
श्री बालकिशन सुनारीवाल — अप्रार्थीगण सं0 1 से 3 एक पक्षीय कार्यवाही

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री ध्रुव सिंह चौधरी के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थी के पिता श्री प्रभूदान पुत्र स्व0 भूरदान की पैतृक खातेदारी कृषि आराजी खाता संख्या 78 ख0नं0 12 रकबा 00–04–00 किस्म गै0मु0 चाह, ख0नं0 14 रकबा 00–06–00 किस्म गै0मु0 चाह, ख0नं0 93 रकबा 00–19–07, ख0नं0 94 रकबा 00–02–00 किस्म गै0मु0 चाह, ख0नं0 95 रकबा 00–00–10 किस्म गै0मु खड्डा, ख0नं0 96 रकबा 10–11–13, ख0नं0 97 रकबा 07–04–00 व ख0नं0 183 रकबा 00–02–00 तालाबी अव्वल एवं खाता सं0 80 ख0नं0 13 रकबा 14–06–00, खाता सं0 81 ख0नं0 15 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with CamScanner

14–12–00 तथा खाता सं0 82 ख0नं0 17 रकबा 01–08–00 किस्म गै0मु0 नाला कुल रकबा 49–15–00 भूमि ग्राम उदयपुर खुर्द में स्थित है। उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थी के पिता अर्थात अप्रार्थी सं0 1 ने एक पंजीकृत पारिवारिक समझौता दिनांक 12.08.1996 को निष्पादित कर अपने खातेदारी की भूमि का अपने चारों पुत्रों में विभाजन किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं0 4 जो अप्रार्थी सं0 1 के दोनो बड़े पुत्र है के हिस्से में ख0नं0 93, 94, 95, 96 व 97 कुल रकबा 19–17–00 भूमि जो कटारिया वाला बेरा की जाव की भूमि है दी गई तथा अप्रार्थी सं0 2 व 3 जो अप्रार्थी सं0 1 के दोनो छोटे पुत्र है को ख0नं0 12, 13, 14, 15 व 17 कुल रकबा 30–13–00 भूमि दी गई, जिसमें से 10–00–00 भूमि अप्रार्थी सं0 1 की छोटी पुत्री हेमलता की शादी के खर्चे के लिये रखी गई थी। उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 5, 6 को अप्रार्थी सं0 1 द्वारा विक्रय कर दी जिनका हिस्सा जमाबन्दी में इन्द्राज हो चुका है। अप्रार्थी सं0 7 को अप्रार्थी सं0 1 द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2011 से प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं0 4 राजेन्द्र सिंह के हिस्से की भूमि ख0नं0 93 व 96 में से भूमि विक्रय कर दी गई जो कि पारिवारिक समझौता दिनांक 12.08.1996 के विपरित है, किन्तु राजस्व पत्रों में अभी तक नामान्तकरण नहीं हुआ है। अप्रार्थी सं0 1 ने स्वयं के तथा अपनी धर्मपत्नि के खर्चे हेतु रखी गई भूमि 5/12 हिस्से को बिना किसी आवश्यकता के बैचान कर दिया गया। अप्रार्थी सं0 1 व 2 अपनी विधिक आवश्यकता नहीं होने के पश्चात् भी तथा स्वयं के आजीवन खर्चे हेतु रखी गई भूमि को भी जो भूमि तालाब हनुमान सागर के पेटे में थी उसका विक्रय कर दिया गया तथा अब प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं0 4 के हिस्से में पारिवारिक समझोता दिनांक 12.08.1996 को दी गई भूमि को विक्रय करने को उद्यत हो रहे है इस आशय की धमकी अप्रार्थी सं0 1 द्वारा दिनांक 23.07.2013 को गांव में दी गई। यदि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 4 के हिस्से में पंजीकृत पारिवारिक समझौता से प्राप्त भूमि को विक्रय कर दिया गया तो प्रार्थी को बड़ी भारी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रकम में किया जाना असंभव होगी तथा अकारण विवादों की श्रृंखला बढ़ जावेगी। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं0 1 व अप्रार्थी सं0 8, 9 के विरूद्ध ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने का निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 3 में वर्णित कृषि आराजी का किसी प्रकार से बैचान, बख्शीश, वसीयत, रहन आदि द्वारा हस्तान्तरण नहीं करे तथा उनके द्वारा हस्तान्तरण विलेख पंजीयन हेतु अप्रार्थी सं0 9 के समक्ष पेश किया जावे तो उसका पंजीयन न करे तथा अप्रार्थी सं0 8 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का फेर बदल नहीं करे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with CamScanner

3. अप्रार्थी को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 4 लगायत 7 के बावजुद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 08.01.2014 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 1 से 3 की ओर से वकील श्री बालकिशन सुनारीवाल द्वारा दिनांक 06.05.2015 को अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 2 में अंकित समस्त खसरा नम्बर की कृषि आराजी अप्रार्थी सं0 1 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की है और उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 पूर्ण रूप से काबिज है व पैतृक आराजी नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 12.08.1996 को जो पारिवारिक समझौता निष्पादित किया था, वह उनको कृषि भूमि को काश्त करने एवं अन्य प्रकार से विकास करने हेतु एक वसीयत के रूप में निष्पादित किया था, जिसको अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 03.06.2011 को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दुबारा निष्पादित करवाकर पूर्व में पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 12.08.1996 को निरस्त कर दिया। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा पूर्व में उप पंजीयक किशनगढ़ के कार्यालय में दिनांक 12.08.1996 को जो दस्तावेज पंजीबद्ध करवाया था, उसी के आधार पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 4 ने मिलकर पूर्व में एक राजस्व वाद संख्या 03/2001 उनवान नारायण सिंह बनाम प्रमूदान का पेश किया था, जिसको न्यायालय ने दिनांक 28.09.2002 को खारिज कर दिया गया व प्रार्थी द्वारा जो पारिवारिक समझौता न्यायालय में पेश किया उसमें न्यायालय ने यह फाईडिंग दी कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 40 के अन्तर्गत खातेदार की मृत्यु के पश्चात् ही उसके उत्तराधिकारी खातेदारी अधिकार विरासत में प्राप्त कर सकते है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 4 ने दुरभिसन्धि कर उपरोक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में दुबारा अप्रार्थी सं0 1 को मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक रूप से हैरान व परेशान करने की नियम से पेश किया है जो की खारिज योग्य है एवं अप्रार्थी सं0 7 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2011 को बतौर खातेदार की हैसियत से 01 बीघा भूमि का बैचान किया था व अप्रार्थी सं0 5 व 6 को भी अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जो जमीन विक्रय की गई थी वह बतौर खातेदार की हैसियत से व अपनी निजी आवश्यकता की पूर्ति हेतु बैचान की थी। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा दिनांक 03.06.2011 को दूसरा पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित करवा दिया गया है, जिसमें अप्रार्थी सं0 1 के नाम जो भी कृषि आराजीयात है उन सभी कृषि आराजीयात् को उनके चारों पुत्र नारायण सिंह, राजेन्द्र सिंह, वासुदेव सिंह व नवीन कुमार एवं दोनो पुत्रियों प्रकाश कंवार एवं हेमलता कंवर व धर्मपत्नि राजकंवर के नाम बराबर–बराबर हिस्से में मृत्यु उपरान्त दी जावे। उक्त वसीयतनामा दिनांक 03.06.2011 को आज

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

Scanned with CamScanner

दिनांक तक निरस्त नहीं करवाया गया है। अप्रार्थी सं0 1 के पुत्रों ने कभी भी अपने पिता को किसी भी तरह की भरण-पोषण राशि अदा नहीं की है एवं अप्रार्थी सं0 1 ने अपने व अपनी बीमार पत्नि के खर्चे व बैलाज व अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैचान किया था। अप्रार्थी सं0 4 व प्रार्थी को अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 23.07.2013 को कोई धमकी नहीं दी, बल्कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 4 ने दुरभिसन्धि करते हुए सुवासा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कि खारिज होने योग्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में है। प्रार्थी के नाम कोई खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में ग्राम उदयपुर खुर्द में नहीं है न ही प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 से 4 तक का कब्जा है। सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी को कारित नहीं हो रही है तथा न ही भविष्य में किसी प्रकार की कोई क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे सहित निरस्तनीय है।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि पिता द्वारा पैतृक भूमि का पारिवारिक रजिस्टर्ड समझौता दिनांक 12.08.1996 को किया गया था। किन्तु अप्रार्थी सं0 1 नारायण सिंह द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकन के आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 4 के हिस्से में आयी भूमि का बैचान किये जाने की कोशिश कर रहे है तथा पूर्व में भी इनके द्वारा उक्त हिस्से में से भूमि का विक्रय कर दिया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.08.1996 के रजिस्टर्ड पारिवारिक समझौता अनुसार भूमि को खुर्द बुर्द, बैचान, हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अप्रार्थी सं0 1 को मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण को अपने पक्ष में विचरित अनुतोष कि प्राप्ति हेतु निम्न तीन बिन्दु साबित करने है-(1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का सन्तुलन (3) अपूर्णनीय क्षति

5.1 प्रथम दृष्टया मामला- इस बिन्दु का भार प्रार्थीगण पर था प्रार्थी द्वारा संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2069-2072 खाता संख्या 78 में प्रभूदान पुत्र भूदान रिकॉर्ड खातेदार है। खाता संख्या 80,81,82 में प्रभुदान पुत्र भूदान एवं करण सिंह पुत्र भवरलाल व अभयकुमार कुमथ पुत्र भवरलाल रिकॉर्ड खातेदार है। प्रार्थीगण 12.08.1996 को

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रभूदान द्वारा सम्पादित किया गया पारिवारिक समझौता दस्तावेज के रूप में सलंग्न किया गया है। जिसका विखण्डन करते हुए प्रार्थी स0 1 लगायत 3 में अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि उक्त वसीयतनामा को निरस्त कर दूसरा वसीयतनामा अप्रार्थी स0 1 को 03.06.2011 को निष्पादित कराया गया है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 2 में अंकित समस्त खसरा नम्बर की कृषि आराजी अप्रार्थी सं0 1 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की है और उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 पूर्ण रूप से काबिज है व पैतृक आराजी नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा दिनांक 03.06.2011 को दूसरा पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित करवा दिया गया है, जिसमें अप्रार्थी सं0 1 के नाम जो भी कृषि आराजीयात है उन सभी कृषि आराजीयात् को उनके चारों पुत्र नारायण सिंह, राजेन्द्र सिंह, वासुदेव सिंह व नवीन कुमार एवं दोनो पुत्रियों प्रकाश कंवर एवं हेमलता कंवर व धर्मपत्नि राजकंवर के नाम बराबर–बराबर हिस्से में मृत्यु उपरान्त दी जावे। उक्त वसीयतनामा दिनांक 03.06.2011 को आज दिनांक तक निरस्त नहीं करवाया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड पारिवारिक समझौता दिनांक 12.08.1996 प्रभावी है अथवा नहीं तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है अथवा नहीं यह प्रार्थी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सिद्ध किये जाने पर गुणागुण आधार पर मूल वाद के निर्णय के दौरान विचार किया जायेगा। यह न्याय का व्यवस्थित सिद्धांत है। कि एक रिकार्ड खातेदार को पाबंद नही किया जा सकता है।

5.2 सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति– उक्त दोनो बिन्दु को साबित करने में प्रार्थीगण पर था सुविधा कि दृष्टि से उक्त दोनो बिन्दुओ का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। चूकि प्रार्थीगण प्रथम दृष्टिय मामला अपने पक्ष में दर्शित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में यदि अस्थाई निषज्ञाता प्रार्थीगण के पक्ष में जारी नही किया जाने से प्रार्थीगण को अप्राथीगण कि तुलना में अधिक असुविधा हो ऐसी स्थिति न्यायालय के समक्ष नही है। लिहाजा उक्त दोनो बिन्दु भी विरूद्ध प्रार्थीगण विनिश्चित किये जाते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 10/02/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी)
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2020.04.08 11:17:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: